न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 81/2018
प्रविष्टि दिनांक 15–11–2018

केलाशचन्द पुत्र शिवकरण जाट निवासी चेनपुरा निवाई तहसील निवाई जिला– टोंक राज0 –अपीलाण्ट

बनाम

नयब तहसीलदार निवाई जिला–टोक –रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार निवाई दिनांक 30–10–2018 मिसल नम्बर 942/2018

उपस्थिति : (1) श्री केलाश शर्मा अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

दिनांक 20–10–2021

निर्णय

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार निवाई ने दिनांक 30–10–2018 को नोटिस देकर निर्णय दिनांक 2–11–2018 के द्वारा अपीलान्ट को ग्राम चेनपुरा की चरागाह भूमि खसरा नम्बर 20 में 10 गुणा 10 फिट पर अतिक्रमण कर कमरा बना कर अतिक्रमण करने का दोषी मानते हुए पेनल्टी कायम कर भूमि से बेदखल करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार निवाई के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अपीलान्ट एंव उनके अभिभाषक उपस्थित नहीं हुए राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट को दिनांक 4–10–2021 को लिखित बहस प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया किन्तु उनको द्वारा आज तक लिखित बहस पेश नही किये जाने के कारण अपील प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए गुणवगुण आधार पर निर्णय किया जाना उचित समझते हैं। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित किया कि तहसीलदार नायब निवाई द्वारा दिनांक 30–10–2018 को प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस जारी करने का आदेश देते हुए पत्रावली में तारीख पेशी 2–11–2018 नियत की थी किन्तु पत्रावली को रिकार्ड पर लिये बिना ही उसी दिन निर्णय पारित कर दिया जो पूर्णतया अवैध ए[illegible] नायब तहसीलदार निवाई ने अपीलान्ट को बिना सुने एकतरफा कार्यवाही [illegible] निर्णय पारित कर दिया जो विधि एंव विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य [illegible] वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 20 एंव अपीलान्ट की कब्जा [illegible] 490/3 [illegible] के अड़वा हैं अपीलान्ट ने ना तो कमरा बनाया है [illegible] ना ही कोई अतिक्रमण [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:48:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

40–50 सालों से गॉव के निवासियों ने सार्वजनिक मन्दिरनुमा चबूतरा 10 गुणा 10 फिट में बना रखा था ओर वहॉ सेवा पूजा करते आ रहे हैं चबूतरे की जगह पर ही ग्रामवासियों द्वारा नवनिर्माण लोगों के खर्चे पर किया है उक्त मन्दिर प्रार्थी की खातेदारी में बना हुआ है जिसका कोना मात्र चरागाह भूमि में जाता है। अपीलान्ट की झूठी शिकायत नायब तहसीलदार निवाई को आपसी रंजिश के कारण दिनेश मिनरल नामक पत्थर फेक्ट्री के मालिक की गई थी जिस पर उक्त बेदखली की कार्यवाही की गई है। नायब तहसीलदार द्वारा मोके की वास्तविक स्थिति की नापचोप किये बिना ओर उक्त समस्त तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार निवाई द्वारा पारित निर्णय दिनांक 2–11–2018 निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक अपनी बहस में ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट ने राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 20 में से 10 गुणा 10 फिट भूमि पर पुख्ता कमरा बनाकर अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट ने अपील प्रार्थना पत्र में स्वंय ने भी यह माना है कि चरागाह भूमि पर मात्र कोना बना हुआ है। निर्माण के दौरान भी हल्का पटवारी द्वारा अपीलान्ट को निर्माण नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया था ओर कारीगरों से कार्य बन्द करवाकर बल्ली फन्टे जप्त किये गये थे। पर्चा मौका रिपोर्ट पर स्वंय केलाश शर्मा के हस्ताक्षर मोजूद है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है। उक्त अतिक्रमिण भूमि की किस्म चरागाह है एंव किसी भी राज्यादेश के तहत नियमन योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। अपीलान्ट ने निर्माण कार्य अपनी खातेदारी भूमि में होने के कोई सबूत अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किया हैं। अपीलान्ट ने राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 20 में से 10 गुणा 10 फिट भूमि पर पुख्ता कमरा बनाकर अतिक्रमण किया है। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो में चरागाह भूमि पर स्वंय मात्र कोना बना होना बताया है। अपीलान्ट विवादित भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार निवाई का निर्णय दिनांक 2–11–2018 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20–10–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

चिन्मयी

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोक
जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:48:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)